

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 02 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) एवं 06 दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 600000/- (छः लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 660000/- (छः लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का बीमा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बद्रो सहनी, 40, श्री रामहित सहनी, अनु० जाति	श्रीमती रामसोमारी देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-देकुली धर्मपुर, पो०-कमरौली, धा०-पिपराही, शिवहर	20385853 188	भारतीय स्टेट बैंक, शिवहर SBIN0004447	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० मनोज कुमार सिंह, 48, स्व० नारायण सिंह, सामान्य	श्रीमती वसुन्धरा देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-मकसुदपुर कररिया, पो०-मकसुदपुर कररिया श्यामपुर, शिवहर	32324479 747	भारतीय स्टेट बैंक, SBIN0016776	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बस कंडक्टर (मोटर ट्रांसपोर्ट)
3	स्व० बच्ची देवी, 58, अ० पि० वर्ग	श्री कैलाश साह (पति)	तदैव	ग्रा०-चिरैया, पो०-जगदीश बरही, धा०-पुरनहिया, शिवहर	22110100 008522	बैंक ऑफ बड़ौदा, BARBOADAURI	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० नन्हक मुखिया, 59, श्री दयाल मुखिया, अ० पि० वर्ग	श्री हरि किशोर मुखिया (पुत्र)	तदैव	ग्रा०+पो०-सरवरपुर, धा०-तरियानी, शिवहर	30280110 038185	यूको बैंक UCBA0003028	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
5	स्व० पिन्दु ठाकुर, 21, पि० जाति	श्री ब्रह्मदेव ठाकुर (पिता)	283/31.08.19	ग्रा०-पकड़ी, पो०-छतौना किशुनपुर, धा०-पिपराही, शिवहर	44341010 0003722	बैंक ऑफ इंडिया, कटैया, BKID0004434	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
6	स्व० शत्रुघ्न कुमार, 44, श्री सहदेव प्रसाद, पि० जाति	श्रीमती रंजु देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-सरसौला, पो०+धा०+जि०-शिवहर	10011010 30068018	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, शिवहर CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ठेला पर सब्जी बेचने का कार्य
7	स्व० रौशन आरा, 49, सामान्य	मो० उमेश अख्तर (पति)	299/17.09.19	ग्रा०+पो०-महुआवा, धा०-पिपराही, शिवहर	41500100 001186	BOB पिपराही, BARBOPIPRAHI	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
8	स्व० मो० जमालुद्दीन, 39, मो० जुमराती, पि० जाति	श्रीमती फूलजहाँ (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-खोरठा, पो०-बेलहियाँ, धा०-बेलसन्ड, शिवहर	10012310 11005066	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- ₹ 660000/-

(छः लाख साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-17/2019 के पृष्ठ-9/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०

(राम रूप प्रसाद)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-17/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-17/2019-५१५

पटना, दिनांक :-११-११-१९

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 660000/- (छः लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।